न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – **खेमा राम यादव (R.A.S.)**

प्रार्थना पत्र संख्या – 13/2021

1. श्रीमति उगमी पत्नी श्री धूकल जाति जाट, उम्र 56 वर्ष, निवासी नाहरों का मौहल्ला गांव दादिया, तहसील अरांई जिला अजमेर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने बाबत् राजस्व रिकार्ड</u>

!! निर्णय !!

दिनांकः–18.08.2021

1. संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वादीया ने दिनांक 28.05.2019 को आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 1311 रकबा 07 बीघा 13 बीस्वा में से 4/9 हिस्सा गोविन्द सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द, जाति महाजन, उम्र 73 वर्ष, निवासी ग्राम दादिया से कय की थी। उक्त भूमि कय करने के बाद उक्त भूमि की रजिस्ट्री उप पंजीयन अरांई से अपने पक्ष में निष्पादित करवा ली थी। रजिस्ट्री निष्पादित करवाई जाने के बाद वादीया ने उपरोक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु पंचायत में आवेदन किया जिस पर वादीया के पक्ष में दिनांक 20.06.2019 को नामान्तरण खुलवाने की स्वीकृति दी गयी और नामान्तरण खोलकर जमाबंदी में वादीया का नाम अंकित किया गया। वादीया ने जब उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी निकलवाई तब उसे जानकारी प्राप्त हुई की जमाबंदी में उसके पति का नाम गलत अंकित हो गया है [illegible] का नाम धूकल है जबकि जमाबन्दी में गोकुल अंकित हो गया है वादीया अब उक्त जमाबंदी में पति का नाम जो सहवन से धूकल के स्थान पर [illegible] उसमें संशोधन करवा कर धूकल करवाना चाहती है।
2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2021 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा दिनांक 28.07.2021को तहसीलदार अराई का जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:22:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि वादीया ने दिनांक 28.05.2019 को आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 1311 रकबा 07 बीघा 13 बीस्वा में से 4/9 हिस्सा गोविन्द सिंह पुत्र श्री मिलाप चन्द, जाति महाजन, उम्र 73 वर्ष, निवासी ग्राम दादिया से क्रय की थी। उक्त भूमि क्रय करने के बाद उक्त भूमि की रजिस्ट्री उप पंजीयन अरांई से अपने पक्ष में निष्पादित करवा ली थी। रजिस्ट्री निष्पादित करवाई जाने के बाद वादीया ने उपरोक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने हेतु पंचायत में आवेदन किया जिस पर वादीया के पक्ष में दिनांक 20.06.2019 को नामान्तरण खुलवाने की स्वीकृति दी गयी और नामान्तरण खोलकर जमाबंदी में वादीया का नाम अंकित किया गया। वादीया ने जब उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी निकलवाई तब उसे जानकारी प्राप्त हुई की जमाबंदी में उसके पति का नाम गलत अंकित हो गया है उसके पति का नाम धूकल है जबकि जमाबन्दी में गोकुल अंकित हो गया है। वादीया अब उक्त जमाबंदी में पति का नाम जो सहवन से धूकल के स्थान पर गोकुल हो गया उसमें संशोधन करवा कर धूकल करवाना चाहती है। अतः वादीया की उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोकुल के स्थान पर धूकल किया जाये तथा निवेदन किया कि पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थीया के पक्ष में है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

3. प्रार्थीया ने दस्तावेजों के रूप में विक्रय विलेख दिनांक 28.05.2019,स्वयं के भामाशाह कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं जमाबन्दी सम्बत 2076 के प्रतियां पेश की है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस प्रार्थी पर अवलोकन/मनन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तथा बहस वकील वादी सुनी गयी । बहस वकील वादी व तहसीलदार अरांई द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राज. अधि. 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया के उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1311 रकबा 07 बीघा 13 बीस्वा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर गोकुल के स्थान पर धूकल किया जाये। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18/08/2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:22:26 IST
Reason: SelfAttested